

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 21/23

दायरा दिनांक 18.07.2023

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. मुन्ना पुत्र बिरखा उम्र 55 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम फरेदुआ तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. जुगरू पुत्र मुन्ना 27 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम फरेदुआ तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

-प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

-अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956

निर्णय/आदेश दिनांक- 04.04.2024

उपस्थित-

1. प्रार्थीगण की ओर से - श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से - पेरोकार सरकार

दिनांक 14.07.2023 को प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फरेदुआ तलेटी पटवार क्षेत्र भोयल तहसील शाहाबाद में प्रार्थी क्रम 1 तथा प्रार्थी क्रम 1 की पत्नि चम्पाबाई के खाते तथा कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 245/1 रकबा 6.00 बीघा किस्म बाराणी चतुर्थ स्थित है, जो प्रार्थीगण सहरिया अनुसूचित जनजाति के एकमात्र खाते व कब्जे काश्त की है। दिनांक 29.03.2023 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर हल्का पटवारी ने मौका स्थिति का अवलोकन किये बिना, प्रार्थीगण को सूचित किये बिना प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने की रिपोर्ट लगा दी, जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगण को आवंटन की जाकर दखल दिया गया व आवंटन शर्तों की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी तदुपरान्त खातेदारी दर्ज की गई है, संलग्न गिरदावरी में प्रार्थीगण का कब्जा तथा फसल काश्त का विवरण अंकित है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उक्त भूमि की सीमाओं का कोई विवाद विद्यमान है अथवा मानचित्र नहीं है अथवा भूमि मानचित्र में तरमीम नहीं है इस कारण सीमाज्ञान संभव नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते की उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान जानबूझकर टाला गया है। चम्पाबाई की दिनांक 26.12.2021 को मृत्यु हो चुकी है, जिसका प्रार्थी क्रम 2 एकमात्र पुत्र होकर वैध वारिस है, जिसकी ओर से कार्यवाही पेश है। अतः प्रार्थीगण सहरिया अनुसूचित जनजाति के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 245/1 रकबा 6.00 बीघा ग्राम फरेदुआ तलेटी पटवार क्षेत्र

04.04.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज)

तहसील शाहाबाद का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थर गढी कराये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गई। अप्रार्थी की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम फरेदुआ तलेटी सम्मत 2076 से 2079 अनुसार आराजी खसरा संख्या 245/1 रकबा 6.00 बीघा प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जिसके नकल नक्शा ट्रेस से उक्त भूमि का नक्शे में तरमीम होना भी साबित है। दिनांक 29.03.2023 को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार तहसीलदार शाहाबाद के समक्ष विवादित भूमि के सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना साबित है, पटवारी रिपोर्ट की शुद्ध प्रतिलिपी पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने का अंकन किया गया है। एक तरफ अपनी रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना बताया है और दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी सम्मत 2076 में प्रार्थीगण के नाम फसल सरसों काश्त किये जाने की टीप का अंकन किया गया है, जो दोनो ही तथ्य विरोधाभासी हैं। न्यायालय को यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि निश्चित रूप से हल्का पटवारी का उक्त कृत्य चार्जशीट दिये जाने योग्य है, परन्तु न्यायहित में हम हल्का पटवारी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दिया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, भूमि नक्शे में तरमीम है तथा गिरदावरी से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना साबित है, इस आधार पर प्रार्थीगण अपनी उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान तथा पत्थर गढी कराने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित खसरा संख्या 245/1 रकबा 6.00 बीघा ग्राम फरेदुआ तलेटी पटवार क्षेत्र भोयल तहसील शाहाबाद का प्रार्थीगण की मौजूदगी में विधिवत सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें और पालना रिपोर्ट अविलम्ब मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर बाद पालना दाखिल दफतर हो।

04.04.2024
 उपखण्ड अधिकारी
 उपशाहाबादीकारी
 शाहाबाद जिला बाँस (राज)